रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2018/फाल्गुन 7, 1939
No. 705] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2018/PHALGUNA 7, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2018

का.आ. 799(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है ।

प्रारूप अधिसूचना

और, माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान जिले में 46.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह स्थलीय, पहाड़ी और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का अनूठा प्रतिनिधि है। माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान पोर्ट ब्लेयर से करीब 40 किलोमीटर दूर दक्षिणी अंडमान द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी तंत्र का स्वरूप बहुत जटिल और विविध प्रकार का है। माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 459 मीटर है और यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है।

और , इस राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं जिनमें- (i) *डिप्टरोकार्पस अल्टस, डिप्टरोकार्पस ग्रासिलिस, अमुरा वॉलिची, पीटेकोसिंबिल टिनक्टरियम, ग्नेटम स्कैन्डेन्स* आदि प्रजातियों की बहुलता वाले विशाल सदाबहार वन (ii) *डीप्टरोकारपस ग्रैंडफ्लोरस, आर्टोकारपस चप्पलाशा,* साइडरक्ज़ेलियन लौंगेपैटेलम आदि प्रजातियों की बहुलता वाले अंडमान उष्ण कटिबंधीय सदाबहार

वन, (iii) *डीप्टरोकारपस कॉसटेटस, मेसुआ फेरेआ, कैनारियम मनी, होपा अंडमानिका* आदि प्रजातियों की बहुलता वाले दक्षिणी हिल शीर्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कैलमस प्रजातियों की बहुलता वाले केन ब्रेक्स (v) ओक्सींथेरिया निगरोसिलियाटा प्रजातियों वाले बैम्बू ब्रेक्स (vi) *डिपरोकारपस एसपीपी, आर्टोकारपस चपलाषा, पटरोकारपस डाल्बर्गिआइड्स, टर्मिनलिया बिलाटा, टी.मनी, पेटरोकारपस डाल्बर्गिआइड्स, बॉम्पाक्स इग्नेस, लेगरस्टोमिया हाइपोलीयूका,* आदि की प्रजातियों वाले अंडमान अर्ध सदाबहार वन (vii) *टर्मिनलिया बिलाटा, सलमालिया इगिंसिस, चुकरासिया, टैब्युलारिस, लैनिया कोरोमंडलिका, मल्लोटस, अकिमुनाटस* आदि प्रजातियों वाले अंडमान आर्द्र पर्णपाती वन (viii) *मणिकारा लैटोरलिसिस, पोंगामिया पिन्नाटा, कैलॉफ़्लुम इनोफिलम* आदि प्रजातियों वाले समुद्र तटीय वन और (ix) *राइज़ोपोरा म्यूक्रोनटा, राइज़ोपारा ब्रुगुइएरा जिमोरोहिज़ा,* आदि प्रजातियों की बहुलता वाले सदाबहार वन या ज्वार दलदल वन शामिल हैं।

और, माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान अनेक स्थानिक पशु पक्षियों का वास है। इस राष्ट्रीय उद्यान के रेतीले तट लेदर-बैक कछुआ (*डर्मोसीलीस कोरियासेआ*), ओलिवे रिडले कछुआ (*लेपिडोशेलीस ओलिवेसा*) और ग्रीन सी कछुआ (*चेलोनी मायडास*) के लिए महत्वपूर्ण आश्रय स्थल हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में स्तनधारियों की 13 प्रजातियां अभिलिखित की गई हैं जिनमें अंडमान बनैला सूअर, अंडमान मास्कड भूरा मुसंग, जंगल बिल्ली (*फेलिस चॉउस*), चमगादड़ (*चिरोप्टेरा स्पा*), चूहा (*रत्स स्पा*), चित्तीदार हिरण (*रुसा अल्फ्रेडी*) आदि शामिल हैं। माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान में सरीसृप जीव जन्तुओं की लगभग 30 प्रजातियां अभिलिखित की गईं हैं जिनमें साल्ट वाटर मगरमच्छ (*क्रोकोडिलस पोरोसस*), वॉटर मॉनिटर छिपकली (*वारनस सैल्वेटर*), घरेलू छिपकली (*गेक्कोनिडे स्पा*), किंग कोबरा (*ओफ़िओफैगस हन्नाह*), अंडमान कोबरा, अंडमान क्रेट और कई अन्य गैर विषैले सांप शामिल हैं। इसके तटों और आसपास के क्षेत्रों की वनस्पति में समुद्री सांप भी देखे जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में कीड़े-मकोड़ों और तितलियों की भी लगभग 362 प्रजातियों का वास है।

और, माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान में अत्यधिक मात्रा में पक्षी जीव रहते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी जीव जन्तुओं की लगभग 89 प्रजातियां अभिलिखित की गई हैं जिनमें से इस द्वीपसमूह की 18 स्थानिक पक्षी प्रजातियां इस राष्ट्रीय उद्यान में पायी जाती हैं। इस उद्यान में पाए जाने वाले मुख्य पक्षियों में अंडमान ब्लैक क्रेस्टेड बाज़, अंडमान वुड कबूतर, अंडमान बेंडेड क्रैक, अंडमान ब्लैक कठफोड़वा, अंडमान कौवा-तीतर, अंडमान डार्क सर्प ईगल, अंडमान एमेरियल फ़ाख़ता, अंडमान ग्रीन इंपीरियल कबूतर, अंडमान ग्रे रम्पड स्वीफटलेट, अंडमान ग्राउंड थ्रश, अंडमान पहाड़ी मैना, अंडमान कोयल, अंडमान रेड-व्हिस्केर्ड बुलबुल, अंडमान व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, अंडमान सफेद कॉलर किंगफिशर, बरमेसे रेड कछुआ-फ़ाख़ता (*स्ट्रैप्टोपेलिया ट्रॅनकुबेकी*), पूर्वी जंगल कौवा (*कोर्वस लेविल्लंति*), लेजर रेड प्लोवर (*केराड्रिअस मॉंगोलुस*), छोटा अंडमान ड्रोन्गो (*डिक्रुरस अंडमानेंसिस*), व्हाईट बेल्ट सी ईगल (*हेलियेट्स ल्यूकोस्टर*) आदि शामिल हैं।

और, जैव भौगोलिक रूप से-माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान में अंडमान द्वीप के अधिकांश वन प्रकार पाए जाते हैं। यहां विविध प्रकार के तथा स्थलीय, जलीय और वानस्पतिक पारिस्थितिकी तंत्रों में रहने वाले जीव भी पाए जाते हैं। समुद्र तट खाड़ियां और मुहाने की रेत भी लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे कि सॉलट वॉटर मगरमच्छ, कछुओं और वॉटर मॉनीटर छिपकली के लिए एक उत्कृष्ट आवास का कार्य करता हैं।

और, माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र, जिसकी सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा-1 में वर्णित हैं, का पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के रुप में परिरक्षण एवं संरक्षण आवश्यक है ताकि पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावास, प्रजाति, जनसंख्या और आनुवंशिक स्तरों पर जैविक विविधता को बनाए रखा जा सके और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों को तथा उनके प्रचालन और प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध किया जा सके।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा तथा धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के दक्षिणी अंडमान जिले में स्थित माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पूर्व दिशा में 0 किलोमीटर तथा दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र को माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक है। अंडमान समुद्र के समीपवर्ती पूर्वी भाग की ओर इसका विस्तार शून्य है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 21.82 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को दर्शाता राष्ट्रीय उद्यान का मानचित्र **उपाबंध-I** पर है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमशः **उपाबंध- I (क)** और **(ख)** पर है ।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध- II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम स्थित नहीं है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) संघ राज्य क्षेत्र सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) इस प्रकार तैयार की गई आंचलिक महायोजना अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुबंधो के अनुरूप होगी और उसमें पर्यावरणीय सरोकार शामिल होंगे।

(3) आंचलिक महायोजना संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से और प्रासंगिक केन्द्रीय विधियों एवं संघ राज्य क्षेत्र की विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी ।

(5) आंचलिक महायोजना संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित सभी विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

i. पर्यावरण और वन;
ii. कृषि ;
iii. पशु पालन;
iv. अंडमान लोक निर्माण विभाग;
v. राजस्व;
vi. मत्स्य पालन;
vii. ग्रामीण विकास;
viii. अंडमान एवं लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण (एएलएचडब्लयू) और अन्य अनुसंधान संगठन।

(6) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी प्रकार की अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों को बेहतर बनाने की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल बन सकें।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी ।

(8) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकारों और किस्मों, आदिवासी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों, नमभूमियों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महा-योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

(9) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा तथा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध, विनियमित और संवर्धित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा ताकि स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के किए पारिस्थितिकी- अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके ।

(10) आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगा जिसमें इस अधिसूचना के उपबंधों से सम्बधित उसके कर्तव्यों के संपादन का विवरण होगा ।

3. **संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** संघ राज्य क्षेत्र सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग -** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास के क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से अनुज्ञात किया जाएगा जिससे कि स्थानीय निवासियों की आवास संबंधी तथा पैरा- 4 की सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों संबंधी निम्नलिखित जरुरतों को पूरा किया जा सके, अर्थात् :-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल आरामगाह जैसे कि तंबू और लकड़ी के मकान;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय, और

(v) ग्रामीण उद्योग, सुविधा स्टोर और स्थानीय सुविधाओं सहित कुटीर उद्योग:

परंतु यह भी कि संघ राज्य क्षेत्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के उपबंधों के अनुपालन के बिना, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि की निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह भी कि वन क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र जैसे हरित क्षेत्रों में कोई पारिणामी कमी नहीं की जाएगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** – आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्त्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा उनके लिए इस रीति से आवाह क्षेत्र प्रबंधन योजना बनायी जाएगी कि आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया जा सके।

(3) **पारिस्थितिकी-पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिकी-पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समुह की सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा अंडमान एवं निकोबर द्वीप समूह की सरकार के राजस्व और वन विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल और रिसोर्ट का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, नए होटलों और रिसोर्टो की स्थापना पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात की जाएगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **निगरानी समिति --** पहली निगरानी समिति की अवधि के पूरा होने पर, संघ राज्य क्षेत्र सरकार, मामले को केंद्रीय सरकार को भेजे बिना, पैरा 5 में दी गई संरचना के अनुसार बाद की निगरानी समितियों का पुनर्गठन करेगी।

(5) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान और संरक्षण किया जाएगा तथा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर, उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण की योजना बनायी जाएगी और वह योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(6) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं बनायी जाएंगी तथा उन्हे आंचलिक महायोजना में शामिल किया जाएगा।

(7) **ध्वनि प्रदूषण**– संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का पर्यावरण विभाग या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा ।

(8) **वायु प्रदूषण** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, केन्द्र शासित सरकार एवं वायु प्रदूषण का नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा

(9) **बहिस्राव का निस्सारण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों के अनुसार किया जाएगा।

(10) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा: -

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) गैर-जैविक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(11) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपचार या जलाने की किसी साझा सुविधा की अनुमति नहीं होगी।

(12) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(13) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय- समय पर संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(15) **वाहन-यातायात: -** वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार नावों, जहाजों, आदि जैसे यांत्रिक और हस्त चालित जलयानों सहित वाहनों के संचलन की निगरानी करेगी।

(16) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और सीएनजी, एलपीजी आदि स्वच्छता ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(17) **औद्योगिक इकाईयां -** (क) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले किसी नए उद्योग की में स्थापना अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध अथवा विनियमित या संवर्धित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची – पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) और उनमें किए गए संशोधनों सहित अन्य लागू विधियों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर का उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	प्लास्टिक थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
10.	बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक तरीके से यंत्रीकृत नाव से नदी के जलीय कृषि और मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
11.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नही होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार करने की अनुज्ञा होगी।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: (क) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों सुविधा भण्डारों और ग्रहवास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुख सुविधाओं की व्यवस्था; और (iv) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध प्रोत्साहन दिए गए क्रियाकलाप ।
13.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन में देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।

15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण ।	लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
17.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
18.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
19.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
20.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
21.	वायु, वाहन और ध्वनि प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
22.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ, किए जाएंगे ।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की निगरानी की जाएगी।
26.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि ।	वन विभाग द्वारा सरकारी निगरानी / सर्वेक्षण के अलावा प्रतिषिद्ध।
28.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	जैव चिकित्सा अपशिष्ट।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
30.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
31.	कृषि / बागवानी / चाय उद्यान में जैव उर्वरकों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
32.	जैविक कीट नियंत्रण का उपयोग	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
33.	पारम्परिक मत्स्य-पालन।	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्य पालन विनियम, 2003 के अनुसरण में बढ़ावा दिया जाएगा।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
34.	स्थानीय समुदायों द्वारा अपनायी जा रही कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
35.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

38.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	अवक्रमित भूमि/वनों या पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
45.	पालतू पशुओं का टीकाकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
46.	औषधीय पौधों की खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन जारी अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए, प्रथम निगरानी समिति का गठन करती है। प्रथम निगरानी समिति की अवधि के पूरा होने पर, संघ राज्य क्षेत्र सरकार, मामलों को केंद्र सरकार को भेजे बिना, निम्नलिखित संरचना के अनुसार निगरानी समितियों का पुनर्गठन करेगी। अर्थात्:-

i.	उपायुक्त, दक्षिण अंडमान	-अध्यक्ष;
ii.	सभापति, जिला परिषद, दक्षिण अंडमान	-सदस्य;
iii.	संभागीय वन अधिकारी, दक्षिण अंडमान	-सदस्य;
iv.	सहायक आयुक्त, दक्षिण अंडमान	-सदस्य;
v.	कार्यपालक इंजीनियर, दक्षिण अंडमान	-सदस्य;
vi.	निदेशक, कृषि या उसके प्रतिनिधि, दक्षिण अंडमान	-सदस्य;
vii.	निदेशक, पर्यटन या उसके प्रतिनिधि	-सदस्य;
viii.	निदेशक, मत्स्य पालन या उसके प्रतिनिधि	-सदस्य;
ix.	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, दक्षिण अंडमान	-सदस्य;
x.	पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।	-सदस्य;
xi.	किसी प्रतिष्ठित संस्था से पर्यावरण/पारिस्थितिकी/वन्य जीव क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	-सदस्य;
xii.	संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता बोर्ड का प्रतिनिधि	-सदस्य;
xiii.	संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	-सदस्य;
xiv.	उप वन संरक्षक (वन्यजीव), पोर्ट ब्लेयर	सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय.-

(1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(2) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी ।

(3) निगरानी समिति पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आने वाले उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तटीय विनियम जोन, 2011 सं.का.आ 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 तथा इनमें किए गए परिवर्ती

संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं जिनमें इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप भी शामिल हैं। केवल श्वेत श्रेणी के उद्योगों को ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ''उद्योगों के वर्गीकरण, 2016'' के लिए जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट माना जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल–विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा करके उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उद्यान का उप-वन संरक्षक, इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को प्रत्योक मामले में आवश्यकता के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध III** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने होने वाले आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/29/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

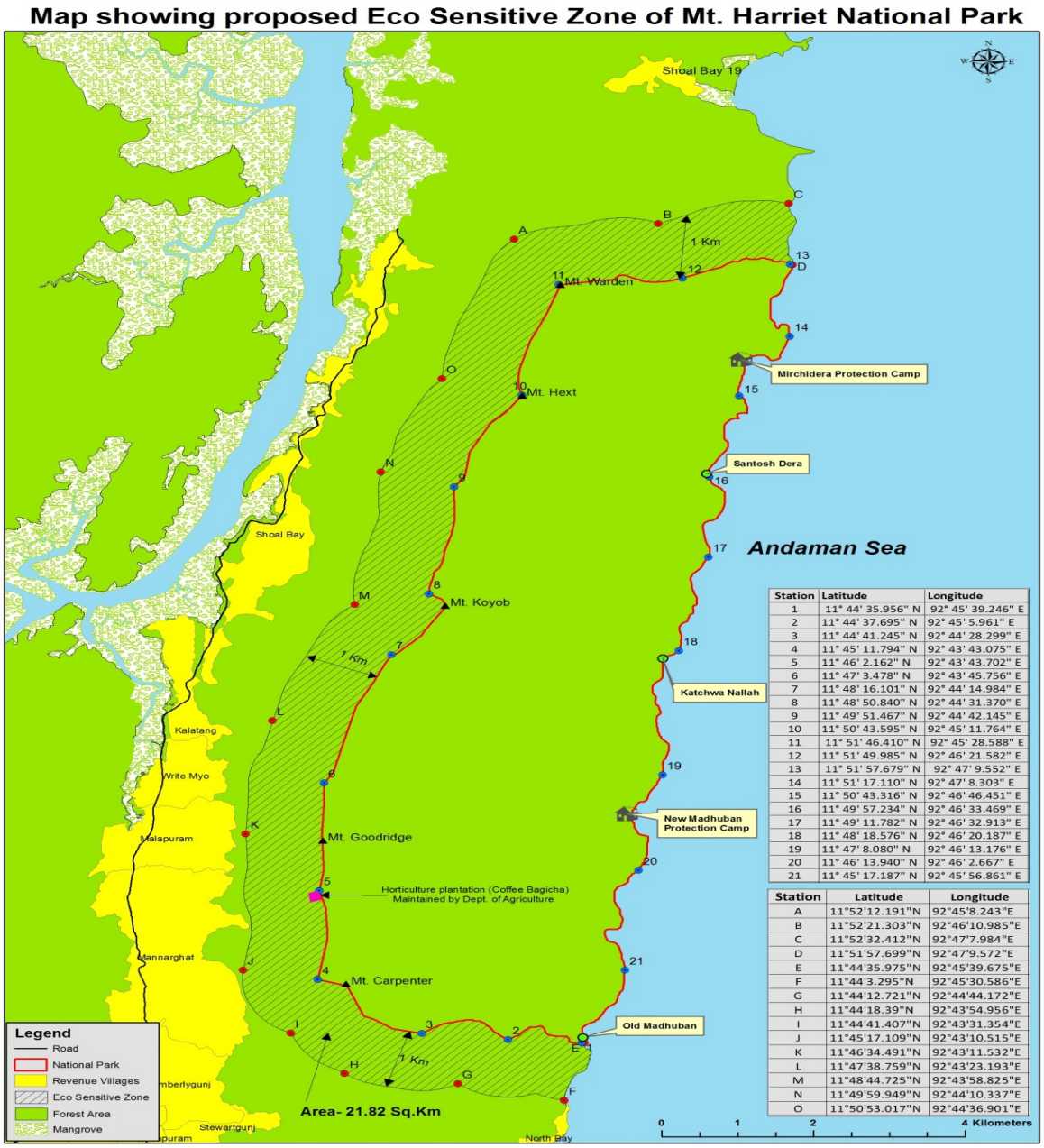

Station	Latitude	Longitude
1	11° 44' 35.956" N	92° 45' 39.246" E
2	11° 44' 37.695" N	92° 45' 5.961" E
3	11° 44' 41.245" N	92° 44' 28.299" E
4	11° 45' 11.794" N	92° 43' 43.075" E
5	11° 46' 2.162" N	92° 43' 43.702" E
6	11° 47' 3.478" N	92° 43' 45.756" E
7	11° 48' 16.101" N	92° 44' 14.984" E
8	11° 48' 50.840" N	92° 44' 31.370" E
9	11° 49' 51.467" N	92° 44' 42.145" E
10	11° 50' 43.595" N	92° 45' 11.764" E
11	11° 51' 46.410" N	92° 45' 28.588" E
12	11° 51' 49.985" N	92° 46' 21.582" E
13	11° 51' 57.679" N	92° 47' 9.552" E
14	11° 51' 17.110" N	92° 47' 8.303" E
15	11° 50' 43.316" N	92° 46' 46.451" E
16	11° 49' 57.234" N	92° 46' 33.469" E
17	11° 49' 11.782" N	92° 46' 32.913" E
18	11° 48' 18.576" N	92° 46' 20.187" E
19	11° 47' 8.080" N	92° 46' 13.176" E
20	11° 46' 13.940" N	92° 46' 2.667" E
21	11° 45' 17.187" N	92° 45' 56.861" E

Station	Latitude	Longitude
A	11°52'12.191"N	92°45'8.243"E
B	11°52'21.303"N	92°46'10.985"E
C	11°52'32.412"N	92°47'7.984"E
D	11°51'57.699"N	92°47'9.572"E
E	11°44'35.975"N	92°45'39.675"E
F	11°44'3.295"N	92°45'30.586"E
G	11°44'12.721"N	92°44'44.172"E
H	11°44'18.39"N	92°43'54.956"E
I	11°44'41.407"N	92°43'31.354"E
J	11°45'17.109"N	92°43'10.515"E
K	11°46'34.491"N	92°43'11.532"E
L	11°47'38.759"N	92°43'23.193"E
M	11°48'44.725"N	92°43'58.825"E
N	11°49'59.949"N	92°44'10.337"E
O	11°50'53.017"N	92°44'36.901"E

उपाबंध-I-क

माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के भू निर्देशांक

स्टेशन	अक्षांश	देशांतर
1	11°44'35.956"	92°45'39.246"
2	11°44'37.695"	92°45'5.961"
3	11°44'41.245"	92°44'28.299"
4	11°45'11.794"	92° 43'43.075"
5	11°46'2.162"	92° 43'43.702"
6	11°47'3.478"	92° 43'45.756"
7	11°48'16.101"	92°44'14.984"
8	11°48'50.840"	92°44'31.370"
9	11°49'51.467"	92°44'42.145"
10	11°50'43.595"	92°45'11.764"
11	11°51'46.410"	92°45'28.588"
12	11°51'49.985"	92°46'21.582"
13	11°51'57.679"	92°47'9.552"
14	11°51'17.110"	92°47'8.303"
15	11°50'43.316"	92°46'46.451"
16	11°49'57.234"	92°46'33.469"
17	11°49'11.782"	92°46'32.913"
18	11°48'18.576"	92°46'20.187"
19	11°47'8.080"	92°46'13.176"
20	11°46'13.940"	92°46'2.667"
21	11°45'17.187"	92°45'56.861"

उपाबंध I-(ख)

माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू निर्देशांक

स्टेशन	अक्षांश	देशांतर
ए	11°52'12.191"	92°45'8.243"
बी	11°52'21.303"	92°46'10.985"
सी	11°52'32.412"	92°47'7.984"
डी	11°51'57.699"	92°47'9.572"
ई	11°44'35.975"	92°45'39.675"
एफ	11°44'3.295"	92°45'30.586"
जी	11°44'12.721"	92°44'44.172"
एच	11°44'18.39"	92°43'54.956"
आई	11°44'41.407"	92°43'31.354"

जे	11°45'17.109"	92°43'10.515"
के	11°46'34.491"	92°43'11.532"
एल	11°47'38.759"	92°43'23.193"
एम	11°48'44.725"	92°43'58.825"
एन	11°49'59.949"	92°44'10.337"
ओ	11°50'53.017"	92°44'36.901"

उपाबंध -II

माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर – माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा उत्तरी अक्षांश 11°52'12.191" और पूर्वी देशांतर 92°45'8.243" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिन्दु ए से आरंभ होती है जो 322°30' पर माऊंट वार्डन की चोटी से 1 किलोमीटर दूर है और राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व की ओर जाती है और उत्तरी अक्षांश 11°52'21.303" और पूर्वी देशांतर 92°46'10.985" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु बी से होकर जाती है बिंदु सी पर उत्तरी अक्षांश 11°52'32.412" और पूर्वी देशांतर 92°47'7.984" के ग्रिड रिफ्रन्स पर समुद्र तट पर पहुँचती है।

पूर्व – पूर्वी सीमा उत्तरी अक्षांश 11°52'32.412" और पूर्वी देशांतर 92°47'7.984" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु सी से आंरभ होकर पूर्वी तट के उच्च ज्वार वाले क्षेत्र के साथ जाती है और उत्तरी अक्षांश 11°51'57.699" और पूर्वी देशांतर 92°47'9.572" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु डी पर पहुँचती है। इसके बाद माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान की सीमा की ओर जाती है और उत्तरी अक्षांश 11°44'35.975" और पूर्वी देशांतर 92°45'39.675" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु ई से मिलती है। इसके बाद यह सीमा तटीय सीमा की ओर जाकर उत्तरी अक्षांश 11°44'3.295" और पूर्वी देशांतर 92°45'30.586" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु एफ की ओर जाती है।

दक्षिण – दक्षिणी सीमा उत्तरी अक्षांश 11°44'3.295" और पूर्वी देशांतर 92°45'30.586" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु एफ से आरंभ होती है और राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहकर पश्चिम की ओर मुड़ती है उत्तरी अक्षांश 11°44'12.721" और पूर्वी देशांतर 92°44'44.172" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु जी, उत्तरी अक्षांश 11°44'18.39" और पूर्वी देशांतर 92°43'54.956" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु एच से होते हुए उत्तरी अक्षांश 11°44'41.407" और पूर्वी देशांतर 92°43'31.354" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु आई पर पहुँचती है।

पश्चिम – पश्चिमी सीमा उत्तरी अक्षांश 11°44'41.407" और पूर्वी देशांतर 92°43'31.354" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु आई से आरंभ होती है और राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी बनाकर उत्तरी अक्षांश 11°45'17.109" और पूर्वी देशांतर 92°43'10.515", के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु जे उत्तरी अक्षांश 11°46'34.491" और पूर्वी देशांतर 92°43'11.532", के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु के उत्तरी अक्षांश 11°47'38.759" और पूर्वी देशांतर 92°43'23.193" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु एल, उत्तरी अक्षांश 11°48'44.725" और पूर्वी देशांतर 92°43'58.825" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु एम, उत्तरी अक्षांश 11°49'59.949" और पूर्वी देशांतर 92°44'10.337" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु एन पर उत्तर की ओर मुड़ती है और उत्तरी अक्षांश 11°50'53.017" और पूर्वी देशांतर 92°44'36.901" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु ओ पर पहुँचती है। इसके बाद यह सीमा उत्तरी अक्षांश 11°52'12.191" और पूर्वी देशांतर 92°45'8.243" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु ए पर समाप्त होती है।

उपाबंध- III

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।

2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।

3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।

4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।

6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2018

S.O. 799 (E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Mount Harriet National Park is spread over an area of 46.62 Sq. Km falling in South Andaman District of the Union Territory (UT) of Andaman & Nicobar Islands (A&N) and is a unique representative of terrestrial, mountain and coastal ecosystem. The Mount Harriet National Park is located in the Eastern part of South Andaman Island at about 40 km (by road) from Port Blair. The ecosystem of the National Park is very complex and diverse in nature. Mount Harriet National Park has an altitude of 459 metres above Mean Sea Level and possesses one of the highest peaks in the Andaman & Nicobar Islands.

AND WHEREAS, the National Park represents different forest types which include (i) Giant Ever Green Forest represented by species like *Dipterocarpus alatus, Dipterocarpus gracilis, Amoora wallichi, Ptecocymbium tinctorium, Gnetum* scandens, etc., ii) Andaman Tropical Evergreen Forest represented by species like *Dipterocarpus grandiflorus, Artocarpus chaplasha, Siderxylion* longepatalum, etc., iii) Southern Hill top Tropical Evergreen forests represented by species like *Dipterocarpus costatus, Mesua ferrea, Canarium manii, Hopea andamanica*, etc., iv) Cane brakes represented by species like *Calmus* v) Bamboo Brakes represented by species like *Oxytentherea nigrociliata*, etc., vi) Andaman Semi Evergreen forests represented by species like *Depterocarpus spp, Artocarpus chaplasha, Pterocarpus dalbergioides, Terminalia bilata, T.manii, Pterocarpus dalbergioides, Bombax insignis, Lagerstoemia hypoleuca*, etc., vii) Andaman Moist deciduous forests represented by *Terminalia bialata, Salmalia insignis, Chukrassia, Tabularis, Lannea coromandelica, Mallotus, Acuminatus*, etc., viii) Littoral forests represented by species like *Manikara littoralis, Pongamia pinnata, Calophyllum inophyllum*, etc., and ix) Mangrove forests or tidal swamp forests represented by species like *Rhizopora mucronata, Rhizopora bruguiera gymnorhiza*, etc.

AND WHEREAS, the Mount Harriet National Park is the habitat for many endemic animals and birds. Sandy beaches of the National Park are the important nesting ground for the Leather-Back turtle (*Dermochelys coriacea*), the Olive Ridley Turtle (*Lepidochelys olivacea*) and the Green Sea turtle (*Chelonia mydas*). Thirteen species of mammals were reported from the National Park which includes Andaman Wild pig, Andaman masked palm civet, Jungle cat (*Felis*

chaus), Bats (*Chiroptera sp.,*), Rat (*Rattus sp.,*), Spotted deer (*Rusa alfredi*), etc. About 30 species of reptilian fauna has been recorded from the Mount Harriet National Park which includes Salt water crocodile (*Crocodylus porosus*), Water Monitor lizard (*Varanus salvator*), Gecko (*Gekkonidae sp.,*), King cobra (*Ophiophagus Hannah*), Andaman Cobra, Andaman Krait and several other non poisonous snakes. Sea snakes are also seen in the beaches and in the adjoining vegetation. The National Park also houses about 362 species of insects and butterflies.

AND WHEREAS, Mount Harriet National Park is very rich in avian fauna, About 89 species of avian fauna have been recorded from the National Park of which 18 species of endemic birds reported from the island are found in this National Park. Some of the prominent birds found in the Park includes Andaman Black crested Baza, Andaman Wood Pigeon, Andaman Banded Crake, Andaman Black Woodpecker, Andaman Crow-Pheasant, Andaman Dark Serpent Eagle, Andaman Emerald Dove, Andaman Green Imperial Pigeon, Andaman Grey rumped Swiftlet, Andaman Ground Thrush, Andaman Hill Myna, Andaman Koel, Andaman Red-Whiskered Bulbul, Andaman White Breasted Kingfisher, Andaman White Collared Kingfisher, Burmese Red Turtle-Dove (*Streptopelia tranquebarica*), Eastern Jungle Crow (*Corvus levaillantii*), Lesser Sand Plover (*Charadrius mongolus*), Small Andaman Drongo (*Dicrurus andamanensis*), White Bellied Sea Eagle (*Haliaeetus leucogaster*), etc.

AND WHEREAS, bio-geographically Mount Harriet National Park represent majority of forest types found in the Andaman islands and supports fauna which are diverse and adopted to live in terrestrial, aquatic and arboreal ecosystems. The sea shore, creeks as well as sand bar on the beaches serves as an excellent habitat for the endangered species like Salt water crocodile, turtles and Water monitor lizard.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Mount Harriet National Park, as Eco-sensitive zone (ESZ) from ecological, environmental point of view to maintain the biological diversity at eco system, habitat, species, population and genetic levels and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent ranging from 0 kilometre on east and upto 1 kilometre on South, West and North Directions around the boundary of Mount Harriet National Park in the South Andaman district of the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands as the Mount Harriet National Park Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 0 to 1 kilometre around the Mount Harriet National Park. Zero extent is towards Eastern side adjoining Andaman Sea. The area of the Eco-Sensitive Zone is 21.82 square kilometers.

(2) The map of the National Park demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure I** and the list of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure I (A) and (B)** respectively.

(3) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended as **Annexure II**.

(4) No villages are located within the Eco Sensitive Zone.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The UT Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan so prepared shall commensurate with the stipulations specified in the Notification and include the environmental implications.

(3) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the UT Government.

(4) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the UT Government of A&N islands in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and UT laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all Departments of the Union Territory of Andaman & Nicobar islands, namely:-

i. Environment and Forests;
ii. Agriculture;

iii. Animal Husbandry;
iv. Andaman Public Works Department;
v. Revenue;
vi. Fisheries;
vii. Rural Development;
viii. Andaman & Lakshadweep Harbour Works (ALHW) and other research Organisations.

(6) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, archaeological monuments, heritage structures, villages and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green areas such as parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes, wetlands and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and shall follow prohibited, regulated and promoted activities specified in the Notification so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions with respect to the provisions given in this notification.

3. Measures to be taken by UT Government.-The UT Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendations of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the UT Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Rainwater harvesting; and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the UT Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the UT Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment management plan shall be drawn up by the UT Government in such a manner as to prohibit or and restrict development activities within the catchment areas.

(3) **Eco-Tourism.-** (a)The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Eco-Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Union Territory Government of Andaman & Nicobar Islands in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of A&N.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) The activities relating to tourism shall be regulated as under, namely.-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Mount Harriet National Park or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the National Park till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Monitoring Committee.-** Upon completion of the term of the first Monitoring Committee, the Union Territory shall re-constitute the subsequent Monitoring Committees as per the composition given at Para 5, without referring to the Central Government.

(5) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(6) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(7) **Noise pollution.-** The Environment Department of the UT Government or UT of A&N Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(8) **Air pollution.-** Regulations for the control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder shall be complied with.

(9) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein. –

(10) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(11) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste management and disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(i) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(12) **Plastic Waste Management**.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Construction and Demolition Waste Management**.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management

Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(14) **E-waste**.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(15) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the UT Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement including that of mechanized and manual water crafts like boats, ships, etc., under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(16) **Vehicular Pollution.-** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuels like CNG, LPG, etc.

(17) **Industrial Units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Practice of River Aquaculture and fishing by the help of mechanized boats in large scale commercial manner.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area of Mount Harriet National Park or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (a) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Cottage industries including village industries; convenience stores & local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (iv) Promoted activities listed in this Notification.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the UT Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or UT Act and the rules made thereunder.

15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws except railway lines. Underground cabling may be promoted.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
20.	Commercial use and extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
21.	Air, vehicular and Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
22.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
23.	Use of Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws except for local people.
27.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited except for official monitoring/survey by the Forest Department.
28.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
29.	Biomedical Waste Management.	Regulated under applicable laws.
30.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws.
31.	Use of bio fertilizers in Agriculture/Horticulture/Tea Gardens.	Regulated under applicable laws.
32.	Use of Biological Pest Control.	Regulated under applicable laws.
33.	Traditional Fishing Practices.	Promoted with regulations in accordance with the A&N Islands Marine Fishing Regulations, 2003.
Promoted activities		
34.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
38.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
39.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
40.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
41.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.

42.	Skill Development	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
44.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.
45.	Vaccination of domestic cattle.	Shall be actively promoted.
46.	Cultivation of Medicinal Plants.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes the first Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986. Upon completion of the term of the first Monitoring Committee, the UT Government shall re-constitute the subsequent Monitoring Committees as per the following composition without referring to the Central Government.

i. Deputy Commissioner, South Andaman- —Chairman;

ii. Chair Person, Zilla Parishad, South Andaman- —Member;

iii. Divisional Forest Officer, South Andaman- —Member;

iv. Assistant Commissioner, South Andaman- —Member;

v. Executive Engineer, South Andaman- —Member;

vi. Director, Agriculture or representative, South Andaman- —Member;

vii. Director ,Tourism or representative- —Member;

viii. Director, Fisheries or representative- —Member;

ix. Senior Veterinary Officer, South Andaman- —Member;

x. One representative of Non-governmental Organization working in the field of Environment (including heritage conservation) to be nominated by the Central Government for three years- —Member;

xi. One expert on environment/ecology/wild life from a reputed Institution- Member;

xii. Representative of UT Biodiversity Board- —Member;

xiii. Representative of UT Pollution Control Board- —Member;

xiv. Deputy Conservator of Forests (WL), Port Blair- —Member Secretary.

6. Terms of Reference.-

(1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of issue of Notification.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table

under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the Union Territory under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and UT Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/29/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure-I

Map showing proposed Eco Sensitive Zone of Mt. Harriet National Park

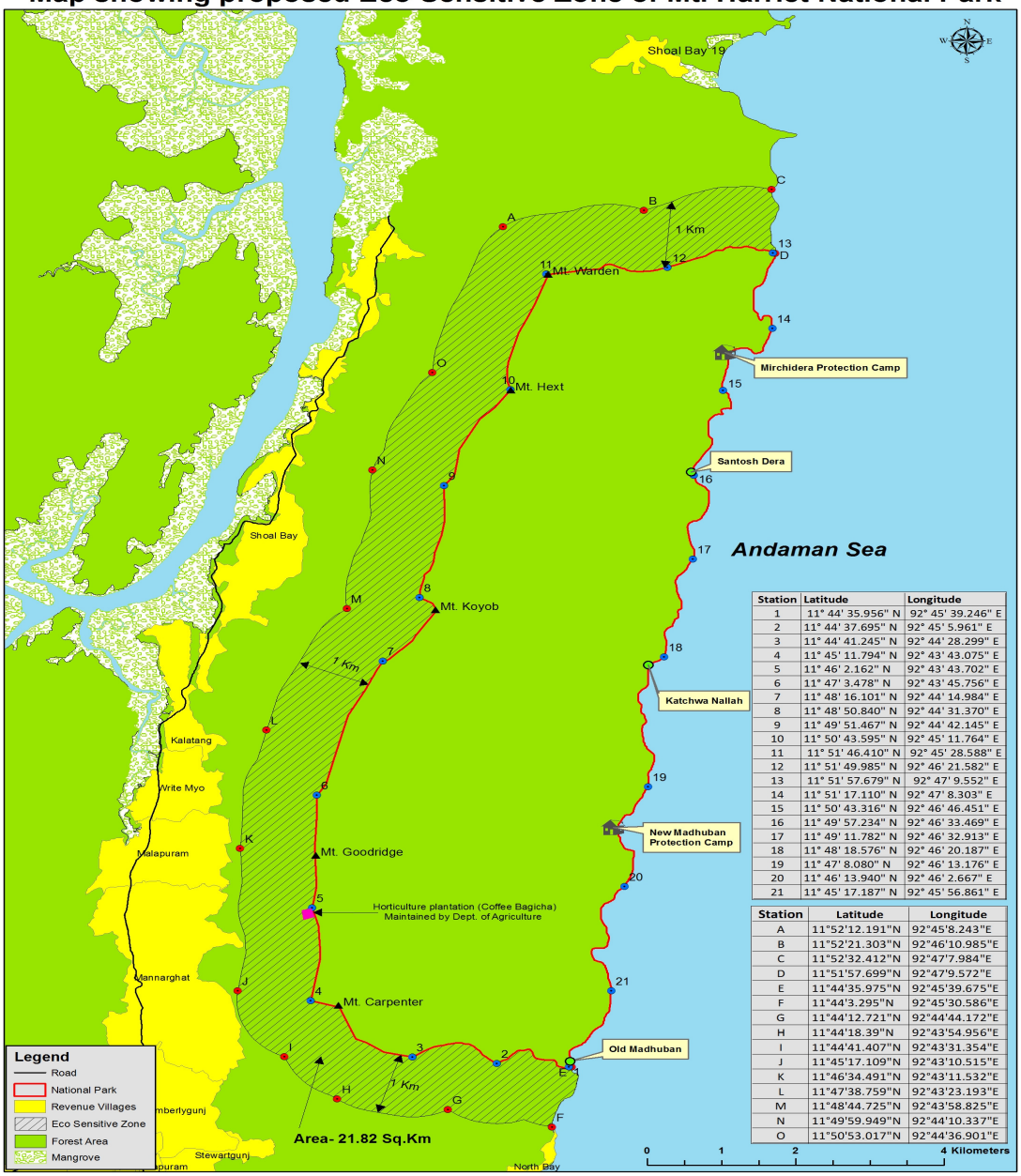

Station	Latitude	Longitude
1	11° 44' 35.956" N	92° 45' 39.246" E
2	11° 44' 37.695" N	92° 45' 5.961" E
3	11° 44' 41.245" N	92° 44' 28.299" E
4	11° 45' 11.794" N	92° 43' 43.075" E
5	11° 46' 2.162" N	92° 43' 43.702" E
6	11° 47' 3.478" N	92° 43' 45.756" E
7	11° 48' 16.101" N	92° 44' 14.984" E
8	11° 48' 50.840" N	92° 44' 31.370" E
9	11° 49' 51.467" N	92° 44' 42.145" E
10	11° 50' 43.595" N	92° 45' 11.764" E
11	11° 51' 46.410" N	92° 45' 28.588" E
12	11° 51' 49.985" N	92° 46' 21.582" E
13	11° 51' 57.679" N	92° 47' 9.552" E
14	11° 51' 17.110" N	92° 47' 8.303" E
15	11° 50' 43.316" N	92° 46' 46.451" E
16	11° 49' 57.234" N	92° 46' 33.469" E
17	11° 49' 11.782" N	92° 46' 32.913" E
18	11° 48' 18.576" N	92° 46' 20.187" E
19	11° 47' 8.080" N	92° 46' 13.176" E
20	11° 46' 13.940" N	92° 46' 2.667" E
21	11° 45' 17.187" N	92° 45' 56.861" E

Station	Latitude	Longitude
A	11°52'12.191"N	92°45'8.243"E
B	11°52'21.303"N	92°46'10.985"E
C	11°52'32.412"N	92°47'7.984"E
D	11°51'57.699"N	92°47'9.572"E
E	11°44'35.975"N	92°45'39.675"E
F	11°44'3.295"N	92°45'30.586"E
G	11°44'12.721"N	92°44'44.172"E
H	11°44'18.39"N	92°43'54.956"E
I	11°44'41.407"N	92°43'31.354"E
J	11°45'17.109"N	92°43'10.515"E
K	11°46'34.491"N	92°43'11.532"E
L	11°47'38.759"N	92°43'23.193"E
M	11°48'44.725"N	92°43'58.825"E
N	11°49'59.949"N	92°44'10.337"E
O	11°50'53.017"N	92°44'36.901"E

Annexure-I A

Geo Co-ordinates of boundary of Mount Harriet National Park

Stations	Latitude	Longitude
1	$11^0$44'35.956"	$92^0$45'39.246"
2	$11^0$44'37.695"	$92^0$45'5.961"
3	$11^0$44'41.245"	$92^0$44'28.299"
4	$11^0$45'11.794"	92^0 43'43.075"
5	$11^0$46'2.162"	92^0 43'43.702"
6	$11^0$47'3.478"	92^0 43'45.756"
7	$11^0$48'16.101"	$92^0$44'14.984"
8	$11^0$48'50.840"	$92^0$44'31.370"
9	$11^0$49'51.467"	$92^0$44'42.145"
10	$11^0$50'43.595"	$92^0$45'11.764"
11	$11^0$51'46.410"	$92^0$45'28.588"
12	$11^0$51'49.985"	$92^0$46'21.582"
13	$11^0$51'57.679"	$92^0$47'9.552"
14	$11^0$51'17.110"	$92^0$47'8.303"
15	$11^0$50'43.316"	$92^0$46'46.451"
16	$11^0$49'57.234"	$92^0$46'33.469"
17	$11^0$49'11.782"	$92^0$46'32.913"
18	$11^0$48'18.576"	$92^0$46'20.187"
19	$11^0$47'8.080"	$92^0$46'13.176"
20	$11^0$46'13.940"	$92^0$46'2.667"
21	$11^0$45'17.187"	$92^0$45'56.861"

Annexure I (B)

Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone Boundary of Mount Harriet National Park

Stations	Latitude	Longitude
A	$11^0$52'12.191"	$92^0$45'8.243"
B	$11^0$52'21.303"	$92^0$46'10.985"
C	$11^0$52'32.412"	$92^0$47'7.984"
D	$11^0$51'57.699"	$92^0$47'9.572"
E	$11^0$44'35.975"	$92^0$45'39.675"
F	$11^0$44'3.295"	$92^0$45'30.586"
G	$11^0$44'12.721"	$92^0$44'44.172"
H	$11^0$44'18.39"	$92^0$43'54.956"
I	$11^0$44'41.407"	$92^0$43'31.354"
J	$11^0$45'17.109"	$92^0$43'10.515"
K	$11^0$46'34.491"	$92^0$43'11.532"
L	$11^0$47'38.759"	$92^0$43'23.193"
M	$11^0$48'44.725"	$92^0$43'58.825"
N	$11^0$49'59.949"	$92^0$44'10.337"
O	$11^0$50'53.017"	$92^0$44'36.901"

Annexure II

Boundary Description of Mount Harriet National Park Eco Sensitive Zone

NORTH – Eco-sensitive Zone boundary of Mount Harriet National Park starts from a point **A** at a grid reference of North latitude $11^0$52'12.191" and East longitude $92^0$45'8.243" which is 1km from the peak of Mount Warden at a bearing of $322^0$30' and proceeds Eastwards keeping a 1km distance from the boundary of the National Park and passes through the point **B** at a grid reference of North latitude $11^0$52'21.303" and East longitude $92^0$46'10.985" and reaches a point **C** and the seashore at a grid reference of North latitude $11^0$52'32.412" and East longitude $92^0$47'7.984".

EAST – The eastern boundary starts from point **C** at a grid reference of North latitude $11^0$52'32.412" and East longitude $92^0$47'7.984" and proceeds along the High tide level of the east coast and reaches a point **D** at a grid reference of North latitude $11^0$51'57.699" and East longitude $92^0$47'9.572". Thereafter the boundary of Eco Sensitive Zone of Mount Harriet National Park will follow the boundary of the Mount Harriet National Park and meets at a point **E** at a grid reference of North latitude $11^0$44'35.975" and East longitude $92^0$45'39.675". Thereafter the boundary will follow the coastal boundary and proceeds further to a point **F** at a grid reference of North latitude $11^0$44'3.295" and East longitude $92^0$45'30.586".

SOUTH –The Southern boundary starts from a point **F** at grid reference of North latitude $11^0$44'3.295" and East longitude $92^0$45'30.586" and moves westwards keeping 1 km distance from the boundary of the National Park and passes through the point **G** at grid reference of North latitude $11^0$44'12.721" and East longitude $92^0$44'44.172", point **H** at a grid reference of North latitude $11^0$44'18.39" and East longitude $92^0$43'54.956" and reaches a point **I** at a grid reference of North latitude $11^0$44'41.407" and East longitude $92^0$43'31.354".

WEST – The Western boundary starts from a point **I** at a grid reference of North latitude $11^0$44'41.407" and East longitude $92^0$43'31.354" and moves towards north keeping a distance of 1 km from the boundary of the National Park through the points **J** at a grid reference of North latitude $11^0$45'17.109" and East longitude $92^0$43'10.515", point **K** at a grid reference of North latitude $11^0$46'34.491" and East longitude $92^0$43'11.532", point **L** at a grid reference of North latitude $11^0$47'38.759" and East longitude $92^0$43'23.193", point **M** at a grid reference of North latitude $11^0$48'44.725" and East longitude $92^0$43'58.825", point **N** at a grid reference of North latitude $11^0$49'59.949" and East longitude $92^0$44'10.337" and reaches a point **O** at a grid reference of North latitude $11^0$50'53.017" and East longitude $92^0$44'36.901". Thereafter the boundary ends at point **A** at a grid reference of North latitude $11^0$52'12.191" and East longitude $92^0$45'8.243"

Annexure III

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.07 11:07:26 +05'30'